वर्ष 2015 से 2020

- वर्ष 2017 में मछुआरों के कल्याण हेतु मछुआ सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में समग्र गव्य विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कॉम्फेड द्वारा राज्य के सभी वर्गों के किसानों, दुग्ध उत्पादकों, शिक्षित बेरोजगार, युवक युवतियों एवं शराबबंदी से प्रभावित लोगों के लिए समग्र गव्य विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है जिससे ऋण-सह-अनुदान/स्व-लागत पर डेयरी इकाई स्थापित कर किसानों के आय में वृद्धि तथा रोजगार का अवसर सृजित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नये दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर आर्द्र भूमि का विकास, रियरिंग तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा मन/चौर से मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन की योजना स्वीकृत की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत मत्स्य अंगुलिकाओं के वितरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आर0ए0एस0 (रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) अधिष्ठापित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 9 जिलों में यथा बाँका, खगड़िया, नवादा, किशनगंज, गया, गोपालगंज, सिवान, रोहतास एवं बक्सर में मत्स्य पालकों को मत्स्य तकनीक के प्रशिक्षण हेतु जागरूकता-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मरंगा, पूर्णियाँ में 50 लाख क्षमता के फ्रोजेन सीमेन स्टेशन की स्थापना की गयी।
- पूर्णियां फ्रोजन सीमेन स्टेशन में देशी नस्ल को सुधारने हेतु उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले सांढ़ (हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मंगाया गया है जिसमें प्रिमियम क्वालिटी फ्रोजेन सिमेन स्ट्रा का उत्पादन हो रहा है।
- वर्ष 2018 में देशी नस्ल के गौ वंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत डुमराव, बक्सर में प्रजनन प्रक्षेत्र (गोकुल ग्राम) की स्थापना की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण एवं विकास हेतु पटना में भ्रूण हस्तान्तरण प्रौद्योगिकी परियोजना का शुभारम्भ किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य में पशुपालन एवं मत्स्य पालन के विकास हेतु लाइवस्टॉक मास्टर प्लान का शुभारम्भ किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य में पहली बार **नीचे मछली ऊपर मुर्गी की योजना** एवं **मत्स्य फसल बीमा योजना** की स्वीकृति दी गयी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में में राज्य में पहली बार तालाबों का सर्वेक्षण सेटेलाईट के माध्यम से करने हेतु सेटेलाईट मैपिंग की योजना की स्वीकृति दी गयी।

वर्ष 2020 से अब तक

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" के तहत 29.85 लाख पशुओं की चिकित्सा, 74.69 हजार पशुओं का बधियाकरण एवं 14,377 नमूनों की पैथोलॉजिकल जाँच की गयी।
- कृषि रोड मैप 2017-23 में कुल गव्य विकास योजना अंतर्गत 02, एवं 10 दुधारू मवेशी की 16,893 डेयरी इकाइयां स्थापित कर किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
- कृषि रोड मैप 2017-23 अवधि में कुल 42 मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण किया गया है। इस अवधि में 81,192.53 हेक्टेयर में मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।
- राज्य में कृषि रोड मैप 2017-23 अवधि में कुल 2,734.78 हेक्टेयर में आर्द्रभूमि/रियरिंग तालाब का विकास किया गया है।
- पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम **कृत्रिम गर्भाधान** के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके तहत तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि (वर्ष 2017-23) में 215.27 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। इसमें वृद्धि कर 2028 तक 426 लाख करने का लक्ष्य है।
- कौशल विकास के तहत अबतक 3,472 पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- सात निश्चय-2 के तहत सरकारी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का विभागीय प्रबंधन की योजना की स्वीकृति दी गयी है।
- सात निश्चय-2 के तहत गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से 40 प्रतिशत महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जा रहा है।

  अब तक कुल 4,750 नई दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के लक्ष्य के विरुद्ध 3,084 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें महिला समितियों की संख्या 1,099 है।
- विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 में 450 विपणन केन्द्र की स्थापना के विरुद्ध 28 स्थलों पर बुथ निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 4 होल डे मिल्क कार्यरत हैं।
- सात निश्चय-2 के तहत प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जानी है ताकि लोग कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाईल एप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जोड़े जाने हैं, जिनसे चिकित्सीय परामर्श दिया जा सके।

  इसके तहत वर्तमान में 1,137 पशु अस्पतालों के माध्यम से पशु चिकित्साएं, बधियाकरण, टीकाकरण एवं कृमिनाशन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पशुओं को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 29.2 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई तथा मोबाइल एम्बूलेट्री वैन के माध्यम से 3.1 लाख पशु उपचारित किए गए हैं।
- राज्य के किसानों को अनुदान देकर मुर्गी फार्म, बकरी फार्म एवं सूकर फार्म की स्थापना में मदद की जा रही है।
- **समेकित चौर विकास योजना को राज्य में वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया गया है।** वर्ष 2022-23 से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार की हमेशा यह सोच रही कि चौर क्षेत्र में एक हिस्से को तालाब के रुप में परिवर्तित कर उसमें मछली पालन तथा दूसरे हिस्से में तालाब से निकले मिट्टी को भरकर वहाँ फल, सब्जी एवं औषधीय पौधों की खेती संभव है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

  मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना अंतर्गत कुल 1200 हेक्टेयर में तालाब निर्माण कार्य किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 146.34 हेक्टेयर में तालाब निर्माण का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत कुछ काम हुआ है परन्तु राज्य में बड़े क्षेत्र में चौर क्षेत्र हैं जहाँ कार्य किये जाने की संभावना और जरुरत है। इससे मछली उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी।
- सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की योजना, समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना, खुली जल-स्रोत में पेन/RFF(Riverine Fish Farming) से मछली पालन, बायोफ्लॉक एवं RAS (Recirculatory Aquaculture System) आधारित तकनीकी से मत्स्य पालन की योजना, निजी तालाबों का जीर्णोद्वार की योजना, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना की स्वीकृति प्रदान कर उसे कार्यान्वित किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना अंतर्गत 159 इकाई अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरुद्ध 66 इकाई अधिष्ठापित किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2022-23 में खुली जलस्रोत में पेन/RFF (Riverine Fish Farming) से मछली पालन योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 100 इकाई के विरुद्ध अबतक 20 इकाई का अधिष्ठापन किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2022-23 में बायोफ्लॉक एवं Recirculatory Aquaculture System तकनीक से मत्स्य पालन की योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 138 इकाई के विरुद्ध अबतक की उपलब्धि 73 इकाई है।

  वित्तीय वर्ष 2022-24 में गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन (रिवर रैंचिंग) कार्यक्रम की योजना अंतर्गत कुल 12 नदियों का चयन किया गया है। इस योजना अंतर्गत राज्य के 33 जिले आच्छादित किये गए हैं। पुनर्स्थापन हेतु कुल 122 लाख अंगुलिकाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अब तक कुल 31 योजना पर कार्यादेश निर्गत किया गया है।

  निजी तालाब का जीर्णोद्धार एवं विकास की योजना अंतर्गत 300 हेक्टेयर में तालाब का जीर्णोद्धार एवं विकास किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 145 लाभुकों द्वारा 70.87 हेक्टेयर में कार्य किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में **7 निश्चय-2 से संबंधित लेयर पोल्ट्री फार्म योजना** के तहत पोल्ट्री फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना तथा चूजों के अनुदानित दर पर वितरण की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी +2 बकरा एवं 100 बकरी +5 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए सामान्य श्रेणी के लाभुकों के लिए अनुदान की दर 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अनुदान की दर 60 प्रतिशत है।
- वर्ष 2022 में **"जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022"** की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2022 में दरभंगा जिला में "नीचे मछली ऊपर बिजली" योजना प्रारम्भ किया गया। जिससे मत्स्य पालन के साथ-साथ तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पशुओं की पहचान हेतु राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गौ जाति एवं भैंस जाति के सभी पशुओं को ईयर टैगिंग किया जाना है। अबतक 2,474.34 लाख पशुओं का खुरपका और मुंहपका रोग (फुट एण्ड माउथ डीजीज), लंगड़ी बुखार व गलाघोंटू (एच0एस0बी0क्यू0) आदि रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया है।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित पशुओं के लिए पशु शिविर लगाकर 1.086 लाख पशुओं का चिकित्सा किया गया एवं 15,099.92 क्विंटल पशु चारा का वितरण किया गया। पशुओं की मृत्यु की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर मुआवजा राशि देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण किया गया।
- **चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए लेयर फार्म की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है,** इसके अंतर्गत चयनित लाभुकों को राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था की गई है।
- चतुर्थ कृषि रोड मैप (2024-28) में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत निम्न योजनाओं पर गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है:- सूकर विकास योजना, बकरी प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण एवं विकास, कुक्कुट विकास, भैंस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, देशी मवेशियों के संरक्षण और अनुवांशिक सुधार केंद्र की स्थापना, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था, गोजातीय नस्ल सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संबंधित प्रशिक्षण हेतु सोसाइटी गठन, पशुपालन प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना, वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना, गव्य विकास, पशु पोषण, दुग्ध विपणन, दुग्ध प्रसंस्करण, डेयरी फार्मों की स्थापना एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर कार्य किया जाएगा।
- मत्स्य संसाधन के अंतर्गत आर्द्रभूमि मत्स्यिकी विकास परियोजना, तालाब मत्स्यिकी विकास परियोजना, तालाब मत्स्यिकी विकास योजना, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य प्रभाग का संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित विषयों पर कार्य किया जाएगा।
- **चतुर्थ कृषि रोड मैप का प्रारंभ वर्ष 2023 में किया गया।** इसमें पशुपालन प्रक्षेत्र में पशुओं के संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, संतुलित आहार तथा प्रजनन योग्य पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष ध्यान दिया जाना है। पशु चिकित्सा सेवा मोबाईल एप, कॉल सेन्टर, टेलिमेडिसिन तथा मोबाईल पशु चिकित्सा युनिट के संचालन पर जोर दिया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके तहत कुक्कुटपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन

पशुपालन प्रक्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आबादी के गरीबी-उन्मूलन एवं स्वरोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और शहरी बोझ को कम करने में पशुपालन के बहुआयामी कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में वर्ष 2005 में सरकार गठन के पश्चात ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में कृषि के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के महत्व को समझते हुए इनके सर्वांगीण विकास के लिए कई पहल की। राज्य में पशुपालन, गव्यपालन एवं मत्स्यपालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर समावेशी विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप से लगातार विभाग द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है, जिससे काफी सार्थक परिणाम सामने आये हैं। सुशासन के कार्यक्रम (2020-25) के अन्तर्गत सात निश्चय-2 से संबंधित 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास तथा 'सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा' के तहत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ के लिए इस विभाग द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं के नस्ल सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। गव्य प्रक्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का यह परिणाम है कि राज्य आज दूध के आयातक के स्थान पर निर्यातक हो गया है। बिहार आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में दूध एवं दुग्ध पाउडर की आपूर्ति कर रहा है।

पशु संसाधन प्रक्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, संक्रामक रोगों के विरूद्ध टीकाकरण तथा संतुलित पशु आहार के कार्यक्रम पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवसायिक स्तर के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उत्पादन/प्रजनन की व्यवस्था की जा रही है तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग (बी0पी0एल0 परिवारों) को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मछली पालन प्रक्षेत्र से राज्य के तालाबों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की योजना चलायी जा रही है। मत्स्य पालन को आय के स्रोत में बढ़ावा और ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में भी देखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा अबतक क्रियान्वित तीन कृषि रोडमैप के परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इस अवधि में कृषि उत्पादों के साथ पशु उत्पादों यथा- दूध, मांस, अंडा आदि तथा मछली के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है।

- कृषि रोड मैप से पूर्व राज्य में प्रतिवर्ष **दूध का उत्पादन** 57.7 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर प्रतिवर्ष 125 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जिसमें वृद्धि कर वर्ष 2028 तक 159.9 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। वर्तमान में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 48.55 लाख लीटर प्रति दिन है। वर्ष 2023 में राज्य में मानक दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 154 ग्राम से बढ़कर 270 ग्राम हो गई है।
- कृषि रोड मैप से पूर्व **मांस का उत्पादन** 1.80 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर वर्तमान में 3.96 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 4.94 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।
- कृषि रोड मैप से पूर्व राज्य में **अंडा का उत्पादन** 10,667 लाख प्रति वर्ष था जो बढ़कर वर्तमान में 32,743 लाख प्रति वर्ष हो गया है। इसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 62,025 लाख प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है।
- कृषि रोड मैप से पूर्व राज्य में मत्स्य उत्पादन 2.79 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर वर्तमान में 8.46 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 12.70 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में कृत्रिम गर्भाधान की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु 61.45 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- वर्ष 2006 में बिहार पशुपालन नीति का निर्धारण एवं बिहार पशुधन विकास प्राधिकार का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में राष्ट्रीय पशु बीमा योजना को राज्य में संचालित किया गया।
- वर्ष 2006 में राज्य में कुक्कुट प्रक्षेत्रों में 'लो-इनपुट टेकनोलॉजी' प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2006 में 380 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजिकल लैब का संस्थापन किया गया।
- वर्ष 2006 में नालंदा जिला में वृहत डेयरी विकास योजना अन्तर्गत 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्लान्ट की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2006 में ग्रामों को आच्छादित करते हुए कॉम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2006 में 6 नये दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति भवनों का निर्माण, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को इलेक्ट्रोनिक मिल्कोटेस्टर की आपूर्ति एवं केन्द्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2006 में कॉम्फेड द्वारा 40 हजार दुग्ध उत्पादकों के लिए माइक्रोपेन्शन योजना लागू किया गया।
- बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया गया।
- वर्ष 2006 में बिहार के मत्स्य कृषकों का केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान में मत्स्य पालन के आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण के अनवरत कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2006 में किशनगंज में मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2006 में बांका और हाजीपुर में मत्स्य बीज हैचरी की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2006 में मछुआ दुर्घटना बीमा को लागू किया गया।
- वर्ष 2007 में राज्य में मत्स्यपालन को पहली बार कृषि का दर्जा प्रदान किया गया।
- वर्ष 2007 में नालंदा जिला के बिहारशरीफ में 120.92 करोड़ रुपये की लागत पर 4 लाख लीटर प्रोसेसिंग, 30 मीट्रिक टन दूध चूर्ण क्षमता तथा टेट्रापैकिंग के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2007 में राज्य में सर्वप्रथम मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर केन्द्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश), साल्टलेक (पश्चिम बंगाल) तथा पावरखेड़ा (मध्य प्रदेश), केन्द्रीय अन्तरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), केन्द्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, पन्तनगर (उत्तराखंड) में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। ये सभी प्रशिक्षण संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली से संबद्ध हैं।
- वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप के अन्तर्गत विभाग द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए पर्याप्त एवं सतत् अर्थोपार्जन तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन के साथ भोजन में दुग्ध, अंडा, मांस, मछली की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया।
- वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप के तहत तीव्र बीज वितरण योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 30 करोड़ मत्स्य आंगुलिकाओं का अनुदानित दर पर उत्पादन एवं मत्स्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2008 में एक सौ इक्कीस बंद पड़े मत्स्य बीज फॉर्म (हेचरी) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर संचालित किया गया।
- वर्ष 2008 में कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत साइलो स्थापित कर तरल नाईट्रोजन के भंडारण द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2008 में डेहरी ऑन-सोन में 1 लाख लीटर क्षमता के डेयरी प्लांट एवं प्रोडक्ट प्लांट, 382 यूनिट मिनी डेयरी योजनाएँ स्वीकृत की गयीं।
- वर्ष 2008 में 444.56 लाख रुपये की लागत पर 28 इकाई आदर्श डेयरी-ग्राम योजना स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2008 में 189 लाख रुपये के लागत पर 742 गाँवों में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के गठन एवं 200 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में कृत्रिम प्रजनन केन्द्र की योजना को स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2008 में 854.25 लाख रुपये की लागत से 35 स्थानों पर बल्क कूलर स्थापना की योजना एवं 985 लाख रुपये लागत पर पशु-आहार कारखाना तथा डेयरीप्लांट के विस्तार की योजना को स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2008 में कॉम्फेड क्षेत्र अन्तर्गत मार्केटिंग नेटवर्क को विकसित करने के लिए 50 पूर्णकालिक बूथों की स्थापना और 136 इकाई कोल्डचेन स्थापना की योजना को स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2008 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 20 हजार मछुआरों के परिवारों के मुखिया को जन श्री बीमा योजना का कवरेज दिया गया।
- वर्ष 2008 में राज्य में मीठे पानी के महाझींगा की हैचरी सहित देशी मांगुर तथा अलंकारी मछलियों की हैचरी स्थापित की गयी।
- वर्ष 2009 से बिहार का दूध असम, उड़ीसा आदि राज्यों में भेजा जाने लगा।
- वर्ष 2009 में राज्य के 5 नये जिलों- लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल एवं भभुआ में जिला मत्स्य कार्यालय की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2009 में 2.10 करोड़ रु0 की लागत पर उद्यमिता संसाधन एवं पूर्ण कम्प्यूटरीकृत योजना की दो इकाई, एक कम्फेड मुख्यालय तथा एक वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ के स्तर पर स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2009 में केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर में लो इनपुट टैक्नोलाजी वाले मुर्गों के पालन के साथ चूजों के उत्पादन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2009 में राज्य के चार राजकीय पशु प्रक्षेत्रों में उपलब्ध अनुपयोगी भू-भाग में हरा चारा उत्पादन की योजना प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2010 में 10 हेक्टेयर से छोटे तालाबों के जलकरों का अद्यतन डाटा बेस तैयार करने हेतु सभी जिलों में तीन चरण में तालाबों का भौतिक सर्वेक्षण और कम्प्यूटरीकरण किया गया।
- वर्ष 2010 में मत्स्य फसल बीमा योजना लागू किया गया।
- वर्ष 2010 में पूर्णिया में 161 लाख रुपये की लागत पर बकरी पालन की योजना प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुर्गी ग्राम योजना आरम्भ की गयी।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2011 में 6.89 करोड़ रुपये की लागत पर अनुसूचित जाति की सहायता के लिए विशेष घटक के रूप में बैक यार्ड बकरी पालन योजना एवं बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2011 में 20 चलन्त पशु चिकित्सालय हेतु 20 (बीस) अत्याधुनिक उपकरणों/उपस्करों एवं पशु दवाओं से युक्त एम्बुलेट्री वाहन की क्रय योजना की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2011 में राज्य में पूर्व स्थापित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त 300 नये प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय खोलने की योजना की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2012 में द्वितीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। राज्य के प्रचुर जल एवं जलकर क्षेत्रों में मछली पालन, पशु पालन एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया। रोड मैप से दूध मछली एवं मास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2012 में राज्य में 6 करोड़ रुपये की लागत पर अत्याधुनिक उपकरणों/उपस्करों एवं पशु दवाओं से युक्त 50 एम्बुलेट्री वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में कुल 101 करोड़ रुपये की लागत पर पशु विकास की योजना स्वीकृत की गयी। योजना के तहत फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना का सुदृढ़ीकरण, 600 Thawing Machine का क्रय तथा लोक निजी भागीदारी पर 2,500 पशुधन विकास केन्द्र (Livestock Development Centre) की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2012 में राज्य में कुल 1.75 करोड़ रुपये की लागत पर सात-सात ब्लड बैंक एवं सीड बैंक की स्थापना की योजना स्वीकृत की गयी।
- द्वितीय कृषि रोडमैप (2012-17) के तहत पशुपालन (दूध, मांस, अंडा के उत्पादन) आदि सभी प्रक्षेत्रों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु किये गये प्रयास के बेहतर परिणाम हासिल हुए। दूध प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी गयी तथा दुग्ध सहकारिता नेटवर्क को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। पशु संसाधन के प्रक्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, पशु आहार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। बकरी एवं मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दिया गया तथा मत्स्य प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ संचालित की गयी।
- वर्ष 2012 में राज्य में राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना अन्तर्गत मछुआ बहुल्य बस्तियों में 1,000 मछुआ आवास तथा 114 चापाकलों का निर्माण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में सर्वप्रथम राज्य में नई प्रजाति की पंगेशियस मछली का सफलतापूर्वक पालन प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2013 में 99.68 लाख रुपये की लागत से फतुहा स्थित सोनारु मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की योजना से Aquatic Animal Health, Nutrition and Environment Management Laboratory की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2013 में राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया।
- वर्ष 2013 में पहली बार राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में खोला गया ताकि बीमा दावे का यथाशीघ्र भुगतान, मत्स्य प्रशिक्षण कार्य आदि किया जा सके।
- वर्ष 2014 में **'समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना'** के तहत स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु 3.65 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर तथा गया जिले के चयनित राजस्व ग्रामों में उन्नत नस्ल का एक-एक बकरा वितरित करने की योजना लागू की गयी।
- वर्ष 2015 में 100 अनुमंडलीय पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा का प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में राज्य में उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मांस उत्पादन में वृद्धि एवं बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण हेतु बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र मरंगा, पूर्णियाँ की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2014-15 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदानित विशेष मत्स्यिकी योजनाओं को कार्यान्वित कराया गया जिससे मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि तथा राज्य के मत्स्य पालक लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2015 में बांका, खगड़िया, नवादा, किशनगंज, गया, रोहतास, एवं बक्सर जिलों में मत्स्य पालकों को सुलभ तरीके से तकनीकी मत्स्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलास्तरीय जागरुकता-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी।

वर्ष 2015 से 2020

- 15 नवम्बर 2016 से सम्पूर्ण राज्य में लगभग 80.00 लाख बकरियों/भेड़ों को Peste des Petits Ruinants (PPR) रोग से बचाव के लिए टीकाकरण प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2016 में समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 10,000 क्षमता के 36 लेयर फार्म तथा 5000 क्षमता के 46 लेयर फार्म की स्थापना की योजना को स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2016 में 69.10 लाख के लागत पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को राज्य के अन्दर लब्ध प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की योजना स्वीकृत की गयी।
- वर्ष 2016 में 3 करोड़ रुपये के लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल 05 इकाई मिल्कोस्कैनर की स्थापना की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2016 में प्रशिक्षण, अनुदानित दर पर विपणन हेतु मोपेड-सह-आईस बॉक्स, थ्री-व्हीलर तथा फोर व्हीलर के वितरण की योजना, सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना आदि प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की गयी।
- **वर्ष 2017 में तृतीय कृषि रोड मैप लागू** किया गया जिसके तहत विभाग द्वारा निर्धारित 3 निदेशालय पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य प्रभाग से संबंधित योजनाओं को एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन कराया गया। इस रोडमैप के लक्ष्यों में दुग्ध, मछली एवं अंडा उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना तथा बैकयार्ड मुर्गी पालन, बकरी पालन तथा सुकर पालन को व्यापक बढ़ावा देना भी सम्मिलित था।
- वर्ष 2017 में उच्च कोटि के पशु विज्ञान एवं इससे सम्बद्ध विज्ञान यथा गव्य तकनीक एवं मत्स्य विज्ञान के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2017 में राज्य के हाजीपुर में 30 मे0 टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र को स्थापित एवं संचालित किया गया।
- वर्ष 2017 में पटना एवं नालंदा में 20,000 किलो प्रतिदिन क्षमता का आईसक्रीम प्लांट को स्थापित एवं संचालित किया गया।
- वर्ष 2017 में राज्य स्कीम के तहत Peste des Petits Ruinants (PPR) Haemorrhagic Septicaemia & Black Quarter (HS-BQ), ब्रुसेलोसिस टीकाकरण तथा अंतःकृमिनाशन की योजना की स्वीकृति दी गयी एवं टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2017 में इवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण का कार्य एवं उसके नियंत्रण की योजना की स्वीकृति दी गयी।
- **वर्ष 2017 में समेकित मुर्गी विकास योजना अन्तर्गत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना** की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2017 में एफ0एम0डी0 टीकाकरण की योजना को स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2017 में तृतीय कृषि रोड मैप में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2017 में राज्य के महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया।